

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11508 / 148

दिनांक :- 11/04/2019

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री मोहम्मद अरशद [लिंक न. 11508] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय I, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर - [12758] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/11/2017 से 10/11/2017 तक 10 दिवस

कुल 10 दिवस

उक्त कुल 10 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री मोहम्मद अरशद की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 11508 / 148

दिनांक :- 11/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय I, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री मोहम्मद अरशद [11508] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय I, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)